न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी जिला नागौर

वादीया	प्रतिवादीगण
राजेन्द्रसिंह पुत्र बहादुरसिंह राजपूत निवासी सुरतपुरा हाल कुचामन	लालाराम पुत्र बालुराम कुमावत वगैरह कुचामनसिटी

दावाः– वाद वास्ते स्थाई निषेधाज्ञा अ. धारा 188 **R.T.Act** 1955

राजस्व वाद मु.नं 15/2017

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिसियल्स जज	नम्बर व तारीख आवेदन जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
28.02.17	वादी द्वारा यह वाद पत्र दावा वास्त स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 **R.T.Act** 1955 के तहत विरूद्व प्रतिवादीगण प्रस्तुत किया। वाद पत्र दर्ज रजिस्टर हो । प्रतिवादीगण जरिये सम्मन तलब होकर पत्रावली दिनॉक 28.02.2017 को पेश हो । उपखण्ड अधिकारी एंव पदेन सहायक कलक्टर कुचामन सिटी (नागौर)	
28/2/17	पत्रावली पेश हुई आज श्रीमान उपखण्ड अधिकारी राजकार्य अवकाश से बाहर पधारे हैं। अतः पत्रावली दिनांक 2/3/17 को पेश हो राजेन्द्र Ilt [illegible]	
~~28/2/17~~	~~02/3/17 वकील वादी उप/प्रा पत्र प्रस्तुत कर बयान किया है कि पक्षकारान के मध्य समझौता हो गया है। इसलिए वाद आगे नहीं चलाना चाहते। वाद नजिये विड्रोल खारिज फरमाया जावे। प्रार्थना पत्र पर गौर किया। प्रा पत्र स्वीकार किया जाता है। वाद वादी नजिये विड्रोल खारिज किया जाता है। पत्रावली के साथ लगा हुआ घेरा नकशा के साथ घेरा दाखिल दफ्तर हो।~~ उपखण्ड अधिकारी एंव पदेन सहायक कलक्टर कुचामन सिटी (नागौर)	